

निबंधित

संचिका संख्या-ए0/नोट-51/15...../जे0,

विधि विभाग

बिहार सरकार

प्रेषक,

मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

सेवा में,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पूर्णियाँ।

पटना, दिनांक-.....

विषय:- नोटरी के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को मूल में वापस लौटाने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंग में कहना है कि आपके न्यायमंडल में कार्यरत अधिवक्ताओं से नोटरी के पद पर नियुक्ति हेतु आपके द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्रों में से निम्नांकित आवेदन पत्रों को त्रुटिपूर्ण रहने के कारण मूल में लौटाया जाता है। प्रत्येक आवेदन पत्र में त्रुटि से संबंधित सूची संलग्न है। इस संबंध में लौटाये जा रहे आवेदन पत्रों को संबंधित अधिवक्ताओं को भेजते/प्राप्त कराते हुए इन्हें कृपया निदेशित किया जाय कि वे संबंधित त्रुटियों को दूर कर आपके माध्यम से आवेदन पत्र को आपके कार्यालय में प्राप्ति तिथि से 15 दिन के अन्दर त्रुटि सुधार कर आपके कार्यालय में प्राप्त करायें जिसे आपके कार्यालय द्वारा शीघ्र विधि विभाग को समय सीमा के अन्दर स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कराया जाय अन्यथा उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत समझा जायेगा तथा बाद में प्राप्त किसी आपत्ति/अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

इस संबंध में आवश्यक सूचना विधि विभाग के वेबसाइट-www.law.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है।

अनु0:- संलग्न सूची एवं आवेदन पत्र।

विश्वासभाजन

ह0/-

(मनोज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-.....5654...../जे0, पटना, दिनांक-.....04-09-15.....

प्रतिलिपि:- सचिव, जिला विधिक संघ पूर्णियाँ एवं संबंधित अधिवक्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:- संलग्न सूची।

(मनोज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

3.15.15

जिला-पूर्णियाँ सुनिश्चित आवेदन पत्रों की सूची

4

क्र०सं०	आवेदक का नाम व पता	विभाग में आवेदन प्राप्ति की तिथि	त्रुटि
1	2	3	4
1.	श्री किशोर कुमार यादव पिता-स्व० महेश्वरी प्र० यादव, पता-प्रोफेसर कालोनी रामबाग, पो०-पूर्णियाँ, थाना-सदर, नजदीक-मिलिया कान्वेन्ट स्कूल रामबाग, जिला-पूर्णियाँ, 854301	14.10.2014	आवेदन पत्र पर राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रबंधक का हस्ताक्षर एवं मुहर नहीं है।
2.	श्री विनय कुमार राय, पिता-स्व० काली प्र० राय, ग्रा०-जलालगढ़, पो०+थाना-जलालगढ़, जिला-पूर्णियाँ		(1) आपको आवेदन पत्र सीधे विधि विभाग को भेजा गया है जबकि इसे सक्षम प्राधिकार के माध्यम से आना चाहिए था। (2) आवेदन पत्र के साथ पंजीयन संख्या का छायाप्रति नहीं है।
3.	श्री संजय कुमार सिंह, पिता-स्व० हिरा लाल सिंह, ग्रा०+पो०-गुलाबबाग, जिला-पूर्णियाँ	02.12.2010	आवेदन पत्र पर दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर नहीं है।
4.	श्री अजय कान्त झा, पिता-स्व० जगत नारायण झा, नवरत्न	03.06.2011	आवेदन पत्र पर दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर नहीं है।